न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या : 38/2020

अपीलांट

मघाराम पुत्र अन्नाजी, जाति मेघवाल, निवासी कोमता, तहसील सायला, जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट

दाडमाराम पुत्र छोगाराम, जाति मेघवंशी, निवासी कोमता, तहसील सायला, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री नैनसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री उत्तम कुमार गहलोत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः– 27/11/20

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सायला द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 17/2018 बउनवान दाडमाराम बनाम मघाराम में पारित आदेश दिनांक 09.09.2020 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को ज़रिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 780 में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 784 मे से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में बताये गये ए से बी भूमि के अनुसार आवागन हेतु खसरा नंबर 784 में कदीमी रास्ता दर्शित किया गया है, किन्तु खसरा नंबर 780 में आने जाने हेतु खसरा नंबर 784 में से कभी कोई रास्ता न था एवं न ही आज कोई रास्ता है। रेस्पोडेन्ट दाडमाराम का खसरा नंबर 780 पुराने खसरा नंबर 251 से बना है जो पुराने खसरा नंबर 251 का नक्शा ट्रेस देखने से स्पष्ट है एवं खसरा नंबर 251 के उतरी हिस्से में राजस्व रेकर्ड में रेकर्डेड रास्ता दर्शित है जो रास्ता कोमता से नया खेडा गांव से बेरो में जाने का

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

मुख्य रास्ता है। पुराने खसरा नंबर 251 से खसरा नंबर 780 व 781 बने है। पुराने खसरा नंबर 251 व 233 का नक्शा ट्रेस देखने से तथा नवीन खसरा नंबर 781 व 780 का नक्शा ट्रेस देखने से स्पष्टतया दोनो नंबर पुराने खसर ानंबर 251 से ही बने है। रेस्पोडेन्ट के खातेदारी आराजी खसरा नंबर 780 में आवागन हेतु खसरा नंबर 781 में से रास्ता मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। नवीन सेटलमेंट में रेस्पोडेन्ट के पिता छोगा पुत्र ताराजी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नवीन खसरा नंबर 780 व 781 उसके अपने स्वंय की खातेदारी का बताया है, किन्तु उसके पश्चात खसरा नंबर 781 किसी अन्य के नाम खातेदारी में दर्ज करवाया है। रेस्पोडेन्ट के पिता स्वंय ने नवीन खसरा नंबर 781 अपना होना बताया है तथा खसरा नंबर 781 रेकर्डेड रास्ते पर आया हुआ है अर्थात रास्ता खसरा नंबर 781 के लगता हुआ चलता है। खसरा नंबर 781 अनुसूचित जाति की भूमि होते हुए भी गलत ढंग से सेटलमेंट ने स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज की है। रेस्पोडेन्ट के समक्ष अपनी खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु खसरा नंबर 781 में वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के बावजूद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के प्रावधानो के विपरित जाकर जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 780 में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 784 मे से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार सायला से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार सायला द्वारा अपने पत्रांक/राज/18/1190 दिनांक 14.09.2018 के जरिये जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। उक्त मौका रिपोर्ट के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 784 में रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए समस्त पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 780 में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 784 मे से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट ने उक्त अपील में महत्वपूर्ण बिन्दु यह उठाया है कि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु खसरा नंबर 781 से रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध है। इस संबध में पत्रावली में संलग्न नक्शा ट्रेस के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट दाडमाराम का खसरा नंबर 780 पुराने खसरा नंबर 251 से बना है। एवं खसरा नंबर 251 के उतरी हिस्से में राजस्व रेकर्ड में रेकर्डेड रास्ता दर्शित है जो रास्ता कोमता से नया खेडा गांव से बेरो में जाने का मुख्य रास्ता है। पुराने खसरा नंबर 251 से खसरा नंबर 780 व 781 बने है। पुराने खसरा नंबर 251 व 233 का नक्शा ट्रेस देखने से तथा नवीन खसरा नंबर 781 व 780 का नक्शा ट्रेस देखने से स्पष्टतया दोनो नंबर पुराने खसरा नंबर 251 से ही बनना स्पष्ट है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए सुविधाजनक रास्ते को कायम किये जाने का प्रावधान नहीं करती है। इस धारा में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। रेस्पोडेन्ट के खातेदारी आराजी खसरा नंबर 780 में आवागन हेतु खसरा नंबर 781 में से वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त महत्वपूर्ण तथ्यो को नजरअंदाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखंड अधिकारी सायला द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 17/2018 बउनवान दाडमाराम बनाम मघाराम में पारित आदेश दिनांक 09.09.2020 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27/11/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नागिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली